UPAG010148512021

न्यायालय अपर जिला जज, न्यायालय सं0 1, आगरा

पीठासीन अधिकारी– सुधीर कुमार–IV, एच.जे.एस.– UP05885

सिविल अपील संख्या– 58/2021 (मूलवाद सं0 491/2011)

1. वेद प्रकाश सिंघल पुत्र श्री दीन दयाल सिंघल,

2. जय राम सिंघल पुत्र श्री दीन दयाल सिंघल,
निवासीगण– 41/42, सुभाष नगर, कमला नगर, आगरा।

3. विनोद कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री मदन गोपाल अग्रवाल, मृत्यु दिनांक 07.11.2021, द्वारा प्रतिनिधि अपीलार्थी सं0 4 एवं औपचारिक प्रत्यर्थी सं0 7 लगायत 9,

4. विशाल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री विनोद कुमार अग्रवाल,
निवासीगण– डी–577/4, कमला नगर, आगरा।

5. मैसर्स एम.एल.डी आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज,
पंजीकृत साझेदारी फर्म, व्यापार खसरा नं0 643ए, नगला उदया तहसील खैरागढ जिला आगरा। द्वारा वेद प्रकाश सिंघल, एक साझेदार।

अपीलार्थी/वादीगण

बनाम

1. श्रीमती मुन्नी देवी पुत्री स्व. श्री राम बाबू,
निवासी– बाई–पास रोड़ खेरागढ, आगरा।

2. दिनेश चन्द गर्ग पुत्र श्री मुरारी लाल,
निवासी– बाई–पास रोड़ खेरागढ, आगरा।

3. श्रीमती सुनीता पुत्री श्री केदार नाथ,
निवासी– बाई–पास रोड़ खेरागढ, आगरा।

4. श्रीमती सिमलेश अग्रवाल पुत्री श्री मंगलिया राम,
निवासी– बाई–पास रोड़ खेरागढ, आगरा।

5. गोविन्द कुमार गर्ग पुत्र श्री मुरारी लाल,
निवासी– बाई–पास रोड़ खेरागढ, आगरा।

6. श्रीमती आशू अग्रवाल पुत्री श्री दिनेश चन्द अग्रवाल,
निवासी– बाई–पास रोड़ खेरागढ, आगरा।

रेस्पोडेंटस/प्रतिवादीगण

7. श्रीमती अनुसईया देवी पत्नी स्व0 श्री विनोद कुमार अग्रवाल,

8. श्री विकास कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री विनोद कुमार अग्रवाल,

9. श्रीमती ममता पत्नी श्री राम विनोद,
निवासीगण–डी–577/4, कमला नगर, आगरा।

निर्णय

1. प्रस्तुत सिविल अपील, अपीलार्थीगण द्वारा मूलवाद सं0 491/2011 वेद प्रकाश सिंघल व अन्य बनाम श्रीमती मुन्नी देवी व अन्य में विद्वान सिविल जज (सी0डि0), आगरा द्वारा पारित आदेश दिनांकित 15.12.2021 के विरूद्ध योजित की गई है। जिसमें विद्वान् अवर न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 100ग स्वीका करते हुए सिविल न्यायालय को उक्त वाद का क्षेत्राधिकार न होने के कारण अपीलार्थीगण/वादीगण का वाद सं0 491/2011 वेद प्रकाश सिंघल व अन्य बनाम श्रीमती मुन्नी देवी व अन्य, निरस्त किया गया है। जिससे क्षुब्ध होकर यह सिविल अपील दाखिल की गई है।

2. सक्षेंप में अपीलार्थीगण का कथन है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 15.12.2021 अवैधानिक है, जो कि बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये पारित किया गया है और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों की अनदेखी करके पारित किया गया है। मुख्य रूप से अपीलार्थीगण का कथन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.04.2014 को आदेश पारित करते समय निम्न कार्यवाहियॉ विचाराधीन थी–

(1) रिट याचिका संख्या 3021/2012 समक्ष लखनऊ पीठ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा उसमें पारित समस्त आदेश,

(2) ऋण वसूली न्यायाधिकरण लखनऊ के समक्ष प्रतिभूतिकरण प्रार्थना पत्र संख्या 241/2011,

(3) राज्य उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग लखनऊ, उ0प्र0 में लम्बित शिकायत संख्या 431/2011,

उपरोक्त के सबंध में ही आदेश पारित किया गया है, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने की दिनांक 24.04.2014 से पूर्व ही मूलवाद सं0 491/2011 वेद प्रकाश सिंघल व अन्य बनाम श्रीमती मुन्नी देवी व अन्य लम्बित था, किन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 24.04.2014 में उक्त मूलवाद सं0 491/2011 वेद प्रकाश सिंघल व अन्य बनाम श्रीमती मुन्नी देवी व अन्य को डिसमिस नहीं किया गया है। इस प्रकार से विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 15.12.2021 अपास्त कर कर सिविल अपील को स्वीकार किये जाने की याचना की गई।

3. रेस्पोडेंटस/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 15.12.2021 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 24.04.2014 के अनुपालन में सिविल न्यायालय को मूलवाद सं0 491/2011 वेद प्रकाश सिंघल व अन्य बनाम श्रीमती मुन्नी देवी व अन्य का क्षेत्राधिकार न प्राप्त होने के आधार पर अपीलार्थीगण/वादीगण का वाद निरस्त किया गया है। जिसमें कोई अवैधानिकता नहीं है, बल्कि अपीलार्थी/वादीगण को Debts and Recovery Tribunal के समक्ष उपचार प्राप्त करने का विकल्प प्राप्त है। उपरोक्त कथनों के आधार पर अपील खारिज किये जाने की याचना की गई।

4. अपीलार्थीगण/वादीगण एवं रेस्पोडेंटस/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा मूलवाद सं0 491/2011 वेद प्रकाश सिंघल व अन्य बनाम श्रीमती मुन्नी देवी व अन्य, की पत्रावली का अवलोकन किया।

5. अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0 4863–4866 सन 2014 मैसर्स भद्रकाली आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज लि0 बनाम मैसर्स एम.एल.डी.सी. आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज एवं अन्य, मैसर्स भद्रकाली आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज लि0 बनाम वेद प्रकाश सिंघल एवं अन्य तथा सिविल अपील सं0 4867/2014 मैसर्स भद्रकाली आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज लि0 बनाम बनाम उ0प्र0राज्य एवं अन्य, में दिनांक 24.04.2014 को यह आदेश पारित किया गया–

"All rights and contentions of parties are kept open to be agitated before Debts and Recovery Tribunal."

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 15.12.2021 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 24.04.2014 के अनुपालन में यह आदेश पारित किया गया कि **इस न्यायालय को प्रस्तुत वाद की सुनवायी का क्षेत्राधिकार प्राप्त न होने के कारण वादीगण का वाद निरस्त किया जाता है।**

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 15.12.2021 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विद्वान अवर न्यायालय को प्रस्तुत वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, किन्तु क्षेत्राधिकार प्राप्त न होने के बाद भी विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रस्तुत वाद निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये गये है, जबकि यदि विद्वान अवर न्यायालय को वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, तब विद्वान अवर न्यायालय या तो वादीगण को वाद सक्षम प्राधिकारी/न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु वापस करना चाहिये था अथवा विद्वान अवर न्यायालय को

वाद को सक्षम प्राधिकारी/न्यायालय के समक्ष प्रेषित करना चाहिये था। यदि न्यायालय को जिस वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है उस वाद को निरस्त करने या स्वीकृति करने का क्षेत्राधिकार भी उस न्यायालय में निहित नहीं रहता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा मूलवाद सं0 491/2011 वेद प्रकाश सिंघल व अन्य बनाम श्रीमती मुन्नी देवी व अन्य, में पारित आदेश दिनांकित 15.12.2021 अपास्त किये जाने एवं अपीलार्थीगण की अपील सव्यय स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अपीलार्थीगण/वादीगण वेद प्रकाश सिंघल आदि द्वारा प्रस्तुत सिविल अपील सं0 58/2021 वेद प्रकाश सिंघल एवं अन्य बनाम श्रीमती मुन्नी देवी एवं अन्य, सव्यय स्वीकार की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा मूलवाद सं0 491/2011 वेद प्रकाश सिंघल व अन्य बनाम श्रीमती मुन्नी देवी व अन्य, में पारित आदेश दिनांकित 15.12.2021 अपास्त किया जाता है।

विद्वान् अवर न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्णय में दिये गये आबजर्वेशन के आधार पर वह मूलवाद सं0491/2011 में रेस्पोडेंटस/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 100ग पर विधि अनुसार सुनवाई के उपरान्त पुनः आदेश पारित करें। सिविल अपील की पत्रावली दाखिल दफ्तर हो तथा इस आदेश की एक प्रति के साथ विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली तत्काल प्रेषित की जाय। पक्षकार विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.08.2022 को उपस्थित हों।

ह0

दिनांक 28.07.2022

(सुधीर कुमार–IV)
अपर जिला जज, न्यायालय संख्या 1,
आगरा।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित करके आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ह0

दिनांक 28.07.2022

(सुधीर कुमार–IV)
अपर जिला जज, न्यायालय संख्या 1,
आगरा।